न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–113 / 2024

प्रार्थीगणः–

1. पुखराज पुत्र शिवलाल उर्फ सवाराम
2. पारसमल पुत्र शिवलाल उर्फ सवाराम
3. मानाराम पुत्र शिवलाल उर्फ सवाराम

समस्त जातियान दर्जी निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री गौतमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02.01.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 676 रकबा 8.2232 हैक्टेयर ग्राम पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम ''सवाराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम ''शिवलाल'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। अतः प्रार्थीगण के पिता का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/3269 दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रार्थीगण के पिता के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में सवाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र,परिवार राशन कार्ड, बैक पास,आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति आदि प्रस्तुत किये।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:11 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम ''सवाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि तहसील सिवाना के ग्राम पादरू के खसरा संख्या 676 रकबा 8.2232 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता नाम'' शिवलाल'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सवाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र,परिवार राशन कार्ड, बैक पास, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के पिता का नाम ''सवाराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम ''शिवलाल'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम ''सवाराम '' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरू तहसील सिवाना के खसरा संख्या 676 रकबा 8.2232 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थीगण के पिता का नाम ''शिवलाल'' के स्थान पर ''सवाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:11 IST
Reason: SelfAttested